मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26—अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक / बोर्ड कार्मिक / क / 535 / 1917 भोपाल दिनांक 21/ 11 / 2016

प्रति,

1. संयुक्त संचालक / उपसंचालक
   म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
   आंचलिक कार्यालय..........................(समस्त)
2. कार्यपालन यंत्री
   म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
   तकनीकी संभाग ....(समस्त)

विषय :— लोकायुक्त संगठन से प्राप्त जॉच प्रतिवेदनों पर निर्धारित समयावधि में कार्यवाही के किये जाने बावत्।

संदर्भ :— म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय का पत्र कमांक एफ 12—17 / 2015 / 14—1 दिनांक 10 अक्टूबर 2016

—00—

उल्लेखित संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके साथ म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का पत्र क. एफ—11—19 / 2014 / 1—10 दिनांक 19.09.2016 संलग्न प्राप्त हुआ है, जिससे लोकायुक्त संगठन से प्राप्त जॉच प्रतिवेदनों पर निर्धारित समयावधि में कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

अतः शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों का निर्धारित समयावधि में पालन किये जाने हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

(कार्यवाहीं संयुक्त संचालक द्वारा अनुमोदित)

सहायक संचालक (कार्मिक)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड कार्मिक / क / 535 / 1918 भोपाल दिनांक 21 / 11 / 2016

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

1. मुख्य अभियंता, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
2. संयुक्त संचालक / उप संचालक (समस्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
3. कार्यपालन यंत्री, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल संभाग—02

सहायक संचालक (कार्मिक)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

तत्काल
समय सीमा

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

कमांक एफ 12–17/2016/14–1 भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2016
प्रति,

1– संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
/कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय,
2– राज्य स्तरीय कृषि प्रशिक्षण संस्थान,
3– प्रबंध संचालक,बीज उपज मण्डी बोर्ड,
4– बीज प्रमाणीकरण संस्था,
5– मध्य प्रदेश राज्य जैविक बीज प्रमाणीकरण संस्थान, भोपाल।
6– कुल सचिव,
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय,
जबलपुर,मध्यप्रदेश।
7– कुल सचिव,
राजमाता सिंधिया,कृषि विश्व विद्यालय,
मध्यप्रदेश ग्वालियर।

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र. Agri 1477 दि. 14/10/16
शाखा Addl(AM)/CE
नि.स. प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र. 1505 17-10-16
शाखा JD(A)
अवर सचिव

विषयः–लोकायुक्त संगठन से प्राप्त जॉच प्रतिवेदनों पर निर्धारित समयावधि में कार्यवाही किए जाने बावत।

———0———

उपरोक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र कमांक एफ11–19/2014/1–10 दिनांक 19.9.2016 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न –उपरोक्तानुसार

(चन्द्रकान्त कश्यप)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

JD(S)–पत्र 18/10/16

AD(P) AD(E) AD (W)
18/10/16

1688
19/10/16

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन– 462 004

मध्य प्रदेश शासन
कृषि विभाग [शाखा-]
आवक क्रमांक 3183
दिनांक 01-10-16

क्रमांक एफ 11-19/2014/1–10 भोपाल, दिनांक 19-9-2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
म.प्र.।

विषयः– लोकायुक्त संगठन से प्राप्त जांच प्रतिवेदनों पर निर्धारित समयावधि में कार्यवाही किये जाने बावत्।

संदर्भः–1. सा.प्र. वि. का परिपत्र क्रमांक 11–86–92–1–10, दिनांक 08/05/1992
2. सा.प्र.वि. का परिपत्र क्रमांक एफ 11–9/2014/1–10 दिनांक 30/04/2014

---00---

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 12 के प्रावधानानुसार मध्य-प्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त के जांच प्रतिवेदनों पर 03 माह के अंदर कार्यवाही की जाये। यदि संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश है। इस संबंध में विभागीय स्तर पर समीक्षा किये जाने के भी निर्देश है।

2/ उपरोक्त निर्देशों के बावजूद शासन के ध्यान में लाया गया है कि शासन के उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है एवं निर्धारित समयावधि में जांच कार्यवाही पूर्ण न किये जाने के कारण दोषी शासकीय सेवक सेवानिवृत्त हो जाते है तथा दण्डित होने से बच जाते है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है संदर्भित परिपत्रों के अनुक्रम में सक्षम अधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। विलंब होने की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

3/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(एम.के.वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 11-19/2014/1–10 भोपाल, दिनांक 19-9-2016

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, म0.प्र. भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सहायक/निज सचिव, म.प्र. भोपाल।

C:\Users\GAYA\Desktop\gad----10\GAD-10\1\lt.saify.doc-1723

4. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, म.प्र. भोपाल।
5. अध्यक्ष म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल।
6. महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी म.प्र. भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार, जनरल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त म.प्र. भोपाल।
10. मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,म0प्र0 भोपाल।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
12. महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल।
13. अवर सचिव, म.प्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।
14. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
15. स्टॉक फाइल।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग